

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]	दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 251
No. 279]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941	[N.C.T.D. No. 251

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2019

सं. 18/2019-राज्य कर (दर)

फा. सं. 03(70)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/501.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 2/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 12/09/2019, जिसे सं. फा. 03(52)/वित्त (राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/425, दिनांक 12/09/2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“2क	2202 10 10	वातित जल”.
-----	------------	------------

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप सचिव

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 22nd October, 2019

No. 18/2019-State Tax (Rate)

F. No. 3(70)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/501.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) No. 02/2019-State Tax (Rate), dated the 12.09.2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F. 3(52)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/425 dated 12.09.2019, namely:—

In the said notification, in the Annexure, after Sl. No. 2 and the entries thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:—

“2A.	2202 10 10	Aerated Water”.
------	------------	-----------------

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.